न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 76/2015/ अपील माध्यस्थम्

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, योजना क्रियान्वयन ईकाई सीकर जरिये परियोजना निदेशक।

अपीलान्ट

बनाम

1. ओम प्रकाश शर्मा पुत्र बिच्छु लाल शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, निवासी सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)।
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
(1) श्री दीपक शर्मा अपीलांट की ओर से।
(2) श्री भागीरथ सिंह कुड़ी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील माध्यस्थम् अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्व अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

सुनवाई तिथि : नवम्बर, 2017 निर्णय दिनांक :16 नवम्बर, 2017

1. अपील अपीलांट की ओर से प्रकरण के तथ्यों को इस प्रकार से अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर–सीकर खण्ड के 287.000 किमी. से 298.050 किमी. तक के भूखण्ड को चौड़ा करने फोर लेन कर उसका अनुरक्षण, प्रबधंन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 23.08.2009 को जारी की गई, जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 21.09.2009 को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना जो अंग्रेजी भाषा में जारी की गई उसमें

वादग्रस्त आराजी की प्रकृति Unirrigated Soyam अंकित की गई तथा हिन्दी में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1879 वाके ग्राम सरगोठ की प्रकृति बारानी व्यावसायिक अंकित थी, के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अर्थात 3ए व 3डी की जो अधिसूचना हिन्दी में जारी की गई उसमें यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि कितनी आराजी बारानी एवं कितनी आराजी व्यावसायिक है। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयत में से 3394 वर्गमीटर भूमि का निराधार ही व्यावसायिक दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के उद्वेश्य से विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व अवार्ड आदेश पारित किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से श्री दीपक शर्मा एवं एसोसियट्स द्वारा ने वकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोन्डेट संख्या 01 की ओर से वकील श्री भागीरथ सिंह कुड़ी उपस्थित आये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के योग्य अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पेश कर अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1879 राजस्व ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से सड़क एन. एच. 11 फोरलेन जयपुर–रींगस खण्ड को चौड़ा करने हेतु 3700 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित की गयी थी। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3394 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि का मुआवजा राशि 1,77,91,315/– रूपये का अवार्ड जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त राशि बिना किसी आपत्ति के अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त खाते में जमा करवा दी थी। जिसका भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में जमा करवायी जा चुकी है। जिसमें से 60 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने बाबत चैक संख्या 26261 दिनांक 09.01. 2012 राशि 96,07,336/– रूपये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी कर दिया गया था। जिस प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये

एवं बाद में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पूर्ण राशि का चैक टी.डी.एस. की राशि काटकर जारी करने पर उस पर भी पी.डी. NHAI द्वारा हस्ताक्षर मेलाफाईड आशय से नहीं किये गये थे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थना पत्र धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को निरस्त फरमाकर हर्जा विशेष दिलवाने का आदेश पारित करें।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में अंकित कथनो को दोहराते हुए अभिकथन किया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना जो अंग्रेजी भाषा में जारी की गई उसमें वादग्रस्त आराजी की प्रकृति Unirrigated Soyam अंकित की गई तथा हिन्दी में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1879 वाके ग्राम सरगोठ की प्रकृति बारानी व्यावसायिक अंकित थी, के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अर्थात 3ए व 3डी की जो अधिसूचना हिन्दी में जारी की गई उसमें यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि कितनी आराजी बारानी एवं कितनी आराजी व्यावसायिक है। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयत में से 3394 वर्गमीटर भूमि का निराधार ही व्यावसायिक दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया। 3डी अधिसूचना के बाद सक्षम प्राधिकारी को भूमि की प्रकृति को परिवर्तित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के उद्वेश्य से विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्यायिक सिद्यान्तों के विरूद्व अवार्ड आदेश पारित किया है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के योग्य अभिभाषक द्वारा पत्र आपत्ति में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1879 राजस्व ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से सड़क एन. एच. 11 फोरलेन जयपुर–रींगस खण्ड को चौड़ा करने हेतु 3700 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित की गयी थी। जिसमें से अप्रार्थी

संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3394 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि का मुआवजा राशि 1,77,91,315/– रूपये का अवार्ड जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा उज्र लिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1879 राजस्व ग्राम सरगोठ में से 3394 वर्गमीटर आवप्तशुदा का मुआवजा व्यावसायिक डीएलसी दर से गलत अवार्ड किया गया है। इसके सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 46/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2012 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया था। इस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय, सीकर में प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–1 सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया तथा मुआवजा राशि पर धारा 3ए के अनुसार दिनांक 11.08.2009 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने का आदेश दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थना पत्र धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को निरस्त फरमाकर हर्जा विशेष दिलवाने का आदेश पारित करें।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि:–

   (1) केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा दिनांक 11.08.2009 को जारी अधिसूचना में विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.3700 है. **बारानी सोयम व्यावसायिक** अंकित है।

   (2) केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा दिनांक 12.01.2010 को जारी अधिसूचना में विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.3700 है. **बारानी सोयम व्यावसायिक** अंकित है।

   (3) न्यायालय हाजा प्रकरण संख्या 46/2012 के निर्णय दिनांक 28.05.2012 में अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया जिसमें प्रार्थी परियोजना निदेशक NHAI रींगस को निर्देशित किया गया कि ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1879 में से

3394 वर्गमीटर भूमि के मुआवजा राशि (मुताबिक अवार्ड) का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश शर्मा को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान नहीं किये जाने पर आने वाली समस्याओं के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक NHAI रींगस जिम्मेदार होंगे।

(4) न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–1 सीकर दीवानी विविध प्रकरण संख्या 01/2014 जो कि उक्त संदर्भित निर्णय दिनांक 28.05.2012 के विरूद्व दायर किया गया था, के क्रम में अपने निर्णय दिनांक 02.05.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2012 को पुष्ट किया गया।

8. उपर्युक्त पैरा 7 के विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात की अवाप्ति के अवार्ड के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2012 की पुष्टि न्यायालय जिला एवं सैशन सीकर क्रम संख्या–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2015 से की जा चुकी है। जिसमें अब किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. निर्णय आज दिनांकः 16 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर